न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

पत्रावली प्रार्थना पत्र /FSSA/संख्या : 17/2017

आसिमदीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर।

आवेदक

बनाम

श्री चन्दर सैनी पुत्र श्री जलसिंह जाति सैनी निवासी मौहल्ला मुंडारा भुसावर भरतपुर विक्रेता व मालिक सैनी आईस फैक्ट्री भुसावर जिला भरतपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011.

उपस्थित :

1. श्री गोपालशर्मा वकील गैर सायल।

निर्णय

दिनांक : 25.4.2018

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायल प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक को गैर सायल मय वकील उपस्थित आये। प्रार्थी उपस्थित नहीं। गैरसायल को इस्तगासा की नकल देते हुये उसमें अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 17.5.2016 को प्रातः 11.10 बजे सैनी आईस फैक्ट्री भुसावर का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच मौके पर आमजनता के इस्तमाल एवं विक्रय के लिये कोल्ड स्टोर के सांचों में करीब 150 आईस कैडी पायी गई। मिलावट का सन्देह होने पर होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया । खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–486/एक्ट/2016/493 दिनांक 30.5.2016 द्वारा उक्त आईस कैण्डी का नमूना अवमानक (Sub-standard) स्तर का पाया गया। गैरसायल के द्वारा अवमानक स्तर की आईस कैण्डी का आमजनता के उपयोग हेतु विक्रय कर उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया गया है।

आरोपो को सुन व समझकर गैरसायल ने कथन किया कि गैरसायल के द्वारा आईस कैण्डी तैयार कर आमजनता के उपयोग हेतु विक्रय की जाती थी। वक्त निरीक्षण मौके पर लिये गये आईस कैण्डी के नमूने में किसी प्रकार की मिलावट नही गई है जांच रिपोर्ट में जो अनियमितता पायी गई है वह मात्र सहवन से हुई है जो कारीगरो की लापरवाही सकती है । गैर सायल द्वारा यह भी जाहिर किया कि उसके द्वारा यह फैक्ट्री तत्समय ही बन्द कर दी गई है बिजली का कनैक्शन भी कट चुका है। गैर सायल द्वारा अब ये काम कतई बन्द कर दिया है। गैरसायल की प्रथम गलती है। अतः गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष के कथनों पर गौर किया। वक्त निरीक्षण दिनांक 17.5.2016 की सैनी आईस फैक्ट्री से आमजनता के इस्तमाल एवं

विक्रय के लिये कोल्ड स्टोर के सांचों में करीब 150 आईस कैडी पायी गई जो खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–486/एक्ट/2016/493 दिनांक 30.5.2016 द्वारा उक्त आईस कैण्डी का नमूना अवमानक (Sub-standard) स्तर का पाया गया है। दौराने सगैरसायल के द्वारा अवमानक स्तर की आईस कैण्डी का आमजनता के उपयोग हेतु विक्रय कर उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया गया है। गैर सायल द्वारा दौराने सुनवाई आरोप को सहवनवश स्वीकार किया है तथा फैक्ट्री बन्द होना भी जाहिर किया है। गैरसायल की प्रथम गलती होने के कारण उसको भविष्य मे ऐसी अनियमितता की पुनरावृति नही करने की चेतावनी देते हुये धारा 51 के अन्तर्गत 1000/– अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। गैरसायल के द्वारा जुर्माना राशि जमा रसीद संख्या 000084 दिनांक 25.4.2018 से जमा कोष की गई। कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनाक 25.4.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official